रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2008/आश्विन 2, 1930
No. 517] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2008/ASVINA 2, 1930

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 5 सितम्बर, 2008

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
(संशोधन) विनियमावली, 2008

सा.का.नि. 676(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-**

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली 2008 कहलाएंगे।

(ii) ये जून 2007 के पहले दिन से लागू समझे जाएंगे।

2. **विनियम 6 में संशोधन :-**

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004) (अब से आगे 'मूल विनियम' के रूप में उल्लिखित) में, विनियम 6 में,

(i) उप-विनियम (2) में, खण्ड (vi) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

"(iv) भारतीय पार्टी ने फार्म ओडीआइ के भाग III में दिए गए फार्मेट में अपने सभी समुद्रपारीय निवेशों के संबंध में अपनी वार्षिक कार्य निष्पादन प्रस्तुत की है।"

(ii) उप-विनियम (2) में, खण्ड (vi) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

"(vi) भारतीय पार्टी विधिवत् भरा गया फार्म ओडीआइ का भाग I प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा को प्रस्तुत करता है। "

(iii) उप-विनियम (5) में, परंतुक में, खंड(ख) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

"(ख) भारतीय पार्टी प्रस्तावित निवेश के पूर्ण ब्योरे फार्म ओडीआइ के भाग I और भाग II में नामित प्राधिकृत व्यापारी के पास दाखिल करता है।"

3. <u>विनियम 9 का संशोधन</u>

मूल विनियमावली में, विनियम 9 में, उप-विनियम (2) में,निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

"(2) भारत के बाहर संयुक्त उद्यम /पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में प्रत्यक्ष निवेश अथवा विदेशी कंपनी के शेयरों के लिए विनिमय के आवेदन फार्म ओडीआइ के भाग I किए जाएंगे।"

4. <u>विनियम 14 का संशोधन</u>

मूल विनियमावली में, विनियम 14 में , उप-विनियम (2) में ,खंड (ii) के लिए ,निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

" (ii) भारतीय पार्टी अंतिम प्रेषण करने के 30 दिनों के अंदर संबंधित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से फार्म ओडीआइ के भाग I और भाग II में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। "

5. <u>विनियम 15 का संशोधन</u>

मूल विनियमावली में, विनियम 15 में, खंड(iii) के लिए ,निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

"(iii) भारतीय पार्टी द्वारा भारत के बाहर स्थापित अथवा अधिगृहीत प्रत्येक संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के संबंध में फार्म ओडीआइ के भाग III में एक वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य रिपोर्ट अथवा दस्तावेज। संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लेखा परीक्षित लेखे को अंतिम रूप देने के लिए मेजबान देश के अपने कानून द्वारा विनिर्दिष्ट सांविधिक अवधि की समाप्ति की तारीख से 60 दिनों अथवा व्यापारी के माध्यम से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत। "

6. <u>विनियम 19 का प्रतिस्थापन</u>

मूल विनियमावली में, विनियम 19 के लिए ,निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

" 19. शेयरों को स्वीकार करने के लिए भारत में स्वामित्व प्रतिष्ठान के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति

भारत में एक स्वामित्व प्रतिष्ठान भारत के बाहर की कंपनी को दी गई पेशेवर सेवाओं के बदले में उक्त कंपनी के शेयरों को स्वीकार करने की अनुमति के लिए फार्म ओडीआइ के भाग I में नामित प्राधिकारी व्यापारी के माध्यम से आवेदन करे।

बशर्ते:-

(क) भारत के बाहर प्रत्येक कंपनी से स्वीकार किए गए शेयरों का मूल्य भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा कंपनी से प्राप्य फीस के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;और, (ख)उपर्युक्त स्वीकृत शेयरों की हैसियत से भारत के बाहर किसी कंपनी में भारतीय प्रतिष्ठान की शेयरधारिता भारत के बाहर स्थित कंपनी ,जिसके शेयर स्वीकार किए जाते हैं, की चुकता पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा"

7. <u>फार्म का प्रतिस्थापन</u>

मूल विनियामली में, अनुसूची II के बाद अंत में, संलग्न किए गए फार्मों के लिए, इन विनियमों को संलग्न फार्म ओडीआइ को प्रतिस्थपित किया जाएगा।

[सं. फेमा 180/आर बी–2008]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 सरकारी राजपत्र में दिनांक नवंबर 19, 2004 को जी.एस.आर. सं.757(E) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :
अप्रैल 7, 2005 के जी.एस.आर.220(E)
मई 27, 2005 के जी.एस.आर.337(E)
अगस्त 31, 2005 के जी.एस.आर.सं. 552(E)
सितंबर 6, 2006 के जी.एस.आर.सं.535(E)
जनवरी 5, 2008 के जी.एस.आर. सं.13 (E)
मार्च 25, 2008 के जी.एस.आर. सं.209 (E)
--------- के जी.एस.आर. सं.----------

(ii) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुलग्नक

समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश फार्म (ओडीआइ)

फार्म ओडीआइ

भाग I

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख. . . . .

आवक सं. . . . .

खण्ड अ : भारतीय पार्टी के ब्योरे

(I) (i) स्वत: अनुमोदित मार्ग [ ] (ii) अनुमोदन मार्ग [ ] के अंतर्गत निवेश

(अगर एक से ज्यादा भारतीय पार्टी हो तो प्रत्येक पार्टी के लिए अलग शीट पर सूचना दी जाए)

(II) भारतीय पार्टी का नाम [ ]

(III) भारतीय पार्टी का पता [ ]

शहर [ ] राज्य [ ] पिन [ ]

(IV) संपर्की [ ] पदनाम [ ]

टेलीफोन सं. [ ] फैक्स [ ]

(V) भारतीय पार्टी का हैसियत :(कृपया योग्य श्रेणी पर टिक लगाएं)

(1) पब्लिक लिमिटेड कंपनी ☐ (2) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ☐

(3) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ☐ (4) पंजीकृत भागीदारी ☐

(5) स्वामित्व ☐ (6) अपंजीकृत भागीदारी ☐

(7) ट्रस्ट ☐ (8) सोसायटी ☐

(9) अन्य ☐

(VI) भारतीय पार्टी का कार्यकलाप कूट* ☐

*3-डिजिट स्तर पर एनआइसी कूट

[अगर भारतीय पार्टी वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हो अथवा स्वामित्व, गैर-पंजीकृत भागीदारी अथवा वित्तीय क्षेत्र श्रेणी में आता हो तो नीचे मद VII में ब्योरे दिए जाएं]।

(VII) भारतीय पार्टी के पिछले 3 वर्ष के वित्तीय ब्योरे

(रु.000 में राशि)

ब्योरे	वर्ष 1 31-3-	वर्ष 2 31-3-	वर्ष 3 31-3-
विदेशी मुद्रा अर्जन (संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को ईक्विटी निर्यात से इतर)			
निवल लाभ			
प्रदत्त पूंजी			
(क) भारतीय पार्टी			
(ख) कंपनी समूह@का निवल मालियत			

@ जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं.फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6(3) के स्पष्टीकरण के अनुसार

(VIII)भारतीय पार्टी और उसके समूह के कंपनियों के मौजूदा संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों,जो पहले से परिचालन में हैं अथवा कार्यान्वित हो रहे हैं, के ब्योरे:

क्रम सं.	भारतीय पार्टी का नाम	रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान सं.
1.		
2.		
3.		

(IX) क्या प्रस्तावित निवेश (योग्य बॉक्स में टिक लगाएं)

(क) नयी परियोजना है ☐ (कृपया खण्ड आ में ब्योरे दें)

(ख) वर्तमान परियोजना है* ☐ (कृपया खण्ड इ में ब्योरे दें)

*भारतीय पार्टी द्वारा प्रवर्तित मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में स्टेक का अधिग्रहण

खण्ड आ : नयी परियोजना में निवेश के ब्योरे

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए **विशिष्ट पहचान सं.**												

(I) निवेश का प्रयोजन (कृपया योग्य श्रेणी में टिक लगाएं)

(क) संयुक्त उद्यम में भागीदारी ☐ (ख) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में अंशदान ☐

(ग) विदेशी कंपनी का पूर्ण अधिग्रहण ☐

(घ) विदेशी कंपनी का आंशिक अधिग्रहण ☐

(ङ) अनिगमित कंपनी में निवेश ☐

(च) अन्य ☐

(II) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के ब्योरे

(क) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का नाम

(ख) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का पता

(ग) देश का नाम

(घ) ई-मेल

(ङ) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का लेखा वर्ष

(III) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का कार्यकलाप कूट

(IV) क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी एसपीवी है? (हां/नहीं) ☐ *

अगर हां, तो खण्ड ई में ब्योरे दें

प्रस्तावित पूंजी संरचना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

खण्ड ङ : मौजूदा परियोजना में निवेश के ब्योरे

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए विशिष्ट पहचान सं.												

(I) अनुपूरक निवेश का प्रयोजन (योग्य श्रेणी पर टिक करें)

(क) मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ईक्विटी में

(ख) अधिमान ईक्विटी/परिवर्तनीय ऋण में वृद्धि

(ग) मौजूदा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ऋण मंजूरी/वृद्धि

(घ) गारंटियों का विस्तार/ वृद्धि

(ङ) अनिगमित कंपनी को प्रेषण

(च) अन्य

(II) पूंजी संरचना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

भाग ई - संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लिए वित्तपोषण

(राशि एफसीवाय 000 में)

I समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य

II भारतीय पार्टी के लिए समुद्रपारीय अधिग्रहण की आनुमानिक क़ीमत

III वित्तीय प्रतिबद्धता* (लागू एफसीवाय में) : एफवायसी राशि

IV भारतीय पार्टी द्वारा निवेश की पद्धति

(i) नकदी प्रेषण

(क) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा

(ख) बाज़ार खरीद

(ii) निम्नलिखित का पूंजीकरण

(क) संयंत्र और मशीनरी का निर्यात

(ख) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

(iii) एडीआर/जीडीआर (समुद्रपार में उगाही गई)

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड

(v) शेयरों का स्वैप

(vi) अन्य (कृपया उल्लेख करें)

कुल अ [भारतीय पार्टी]

V. क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी एसपीवी है (हां/नहीं)

(क) अगर हां, तो एसपीवी का प्रयोजन

i) समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य

ii) एसपीवी द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष इन्फ्यूशन

iii) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के साथ समुद्रपार में उगाही निधियां

iv) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के बिना समुद्रपार में उगाही निधियां

v) विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी/अधिमान ईक्विटी/ शेयरधारक के ऋण के रूप में अंशदान की गई निधियां

vi) प्रतिभूतिकरण (सेक्यूरिटाइसेशन)

vii) अन्य किसी रूप में (कृपया उल्लेख करें)

कुल

VI. गारंटियां/अन्य गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धताएं

टिप्पणी* : जुलाई 7, 2004 की फेमा 120/आरबी-2004 खण्ड 2(च) में यथापरिभाषित वित्तीय प्रतिबद्धता - वित्तीय प्रतिबद्धता का अर्थ ईक्विटी, ऋण के रूप में प्रत्यक्ष निवेश की राशि और भारतीय पार्टी द्वारा अपने समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम कंपनी अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को अथवा उनकी ओर से जारी गारंटी राशि का 100 प्रतिशत।

भाग उ : भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा

I(क) क्या आवेदक पार्टी(पार्टियां), उसके प्रवर्तक, निदेशक, आदि किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन है? अगर हां, तो छानबीन अधिनिर्णय के वर्तमान चरण/ मामले के निपटान का ढंग सहित उसके संक्षिप्त ब्योरे।

(ख) क्या प्रवर्तक भारतीय पार्टी(पार्टियां) वर्तमान में निर्यात प्राप्यों की वसूली न होने की वजह से रिज़र्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सूची में है अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में है/हैं? अगर हां, तो भारतीय पार्टी(पार्टियों) की हैसियत:

(ग) प्रस्तावित कंपनी को स्थापित/अधिगृहीत करने के लिए मेजबान देश में उपलब्ध कोई विशेष लाभ/ प्रोत्साहन सहित इस प्रस्ताव से संबधित कोई अन्य सूचना।

____

____

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

____
(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

स्थान : ______________

दिनांक: ______________ **मुहर/मुद्रा**

नाम : ____________________

पदनाम : __________________

संलग्नकों की सूची :

1.	4.
2.	5.
3.	6.

****

खण्ड ङ : भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखाकार का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 (विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004) में निहित शर्तों का रिपोर्ट किए जा रहे निवेश के संबंध में भारतीय पार्टी ने अनुपालन किया है। विशेष रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि :

(i) निवेश भूमि भवन उनमुख अथवा बैंकिंग कारोबार में नहीं है, और

(ii) पहले किए गए समुद्रपारीय निवेश और निर्यात और पूंजीकृत अन्य देय/ शेयरों का स्वैप/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेश में निवेश के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेष के साथ निवेश के प्रेषण के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा खरीद की राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित सीमाओं के अधीन है। इसकी अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख अर्थात् . . . . . को भारतीय पार्टी की निवल मालियत के संदर्भ में सत्यापन किया गया है।

(iii) निवेश के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

(v) भारतीय पार्टी ने (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा कार्यकलाप से निवल लाभ प्राप्त किए हैं, (ख) भारत के विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है, (ग) वित्तीय सेवा कार्यकलाप करने के लिए भारत में उपर्युक्त विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकरण किया गया है और (घ) भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से वित्तीय सेवा क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है*।

टिप्पणी : *केवल वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामलों में लागू (उदा. बीमा, म्यूचुअल फण्ड, परिसंपत्ति प्रबंधन, आदि)

बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों के माध्यम से निवेश के निधीयन के मामलों में लागू।

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)
फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

* * * * * * * * *

भाग II

विप्रेषणों की रिपोर्टिंग

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख ---------

आवक सं. ---------

वर्तमान संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में निवेश के मामले में कृपया पहले से आबंटित विशिष्ट पहचान सं. लिखें :													

(I) भारतीय कंपनी का नाम

(II) क्या, पिछले रिपोर्टिंग के बाद कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन हुआ है? (हां/नहीं)
अगर हां, तो कंपनी का पुराना नाम

किए गए वर्तमान विप्रेषणों के ब्योरे

(राशि एफसीवाय के 000 में)

रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी का कोड		विदेशी मुद्रा**	
(क) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(ख) बाजार खरीद द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(ग) एडीआर/जीडीआर निधियों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(घ) शेयरों के स्वैप द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	स्वैप की तारीख
		XXXX	

(ङ) भारत में/भारत के बाहर रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	लेनदेन की तारीख
(च) निर्यात/अन्य प्राप्यों का पूंजीकरण@			
पूंजीकरण की तारीख:		राशि :	
(छ) जारी की गई गारंटी : दिनांक (नया/विस्तारित वर्तमान गारंटी अवधि)		राशि :	
वैधता अवधि			

टिप्पणी : ** कृपया एसडब्ल्यूआइएफटी कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा का नाम दर्शाएं।

@ कृपया पूंजीकृत किए जा रहे अन्य प्राप्यों अर्थात् रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क, आदि का उल्लेख करें।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि विप्रेषण
(जो लागू न हो उसे काट दें)

i) निर्धारित शर्तों की भारतीय पार्टी द्वारा अनुपालन की पुष्टि करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर स्वतः अनुमोदित मार्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है;

ii) रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुमोदन पत्र के शर्तों के अनुसार है; तथा

iii) इस बात से संतुष्ट होने के कि दावा, विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को/की ओर से जारी गारंटी के शर्तों के अनुपालन में है, इन्वोक्ड गारंटी विप्रेषण के संबंध में विप्रेषण किया गया है।

स्थान

दिनांक:

मुहर/मुद्रा

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन सं. :

फैक्स सं. :

भाग III

वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर)

(जब तक संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी अस्तित्व में है, प्रति वर्ष संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के वार्षिक लेखाबंदी के तीन महीने के अंदर सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित कराके नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से प्रेषित किया जाए)

I. वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) की तारीख : ________________

II. विशिष्ट पहचान सं. :

(कृपया भारिबैंक द्वारा जारी 13 अंकोंवाली विशिष्ट पहचान संख्या लिखें)

III. पिछले रिपोर्ट के बाद पूंजी संरचना में परिवर्तन

	राशि (नयी)	प्रतिशत शेयर (नया)
भारतीय		
विदेशी		

IV. पिछले दो वर्षों के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के परिचालनात्मक ब्योरे

(राशि 000 विदेशी मुद्रा में)

	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
i) निवल लाभ/ (हानि)		
ii) लाभांश		
iii) निवल मालियत		

V. संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी से प्रत्यावर्तन

संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों से विदेशी मुद्रा अर्जन

	.. .. को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान	कारोबार की शुरुवात से
(i) लाभ		
(ii) लाभांश		
(iii) प्रतिधारित अर्जन*		
(iv) भारत में निवेश		
(v) अन्य**(कृपया उल्लेख करें)		

* (संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लाभ के अंश जो प्रतिधारित हैं और जिनका संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में पुनः निवेश किया गया है, को दर्शाता है)

**(रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क, आदि)

VI. पिछले रिपोर्टिंग से स्टेप डाउन सहायक कंपनियों में निवेश

देश	
संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का नाम	
निवेश की राशि	

स्थान : ______________

दिनांक: ______________

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

<u>मुहर/मुद्रा</u>

नाम : ____________________

पदनाम : __________________

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

<u>बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :</u>

<u>नाम :</u>

<u>पदनाम :</u>

<u>भाग IV</u>

संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के बंद होने/ विनिवेश/ स्वैच्छिक परिसमापन/ समापन पर रिपोर्ट

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा प्रेषित किया जाए

(सभी राशि विदेशी मुद्रा में, हज़ारों में)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम और पता : ____________________

प्राधिकृत व्यापारी कूट : ____________________

रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित युनीक पहचान संख्या

क्या वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है? | हां | नहीं |

पिछले वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट से संबद्ध अवधि और प्रस्तुति की तारीख : ______________

निवेश के ब्योरे

ईक्विटी	ऋण	जारी की गई गारंटियां

विप्रेषण के ब्योरे

ईक्विटी	ऋण	मांगी गई गारंटियां

पिछले वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के बाद पूंजी संरचना में परिवर्तन

ईक्विटी	ऋण	जारी की गई गारंटियां

विनिवेश पर प्रत्यावर्तित राशि

ईक्विटी	ऋण

यह प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू न हो उसे काट दें)

1.(क) बिक्री ऐसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई है जहां समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयर सूचीबद्ध हैं;

(ख) अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हो और शेयरों का विनिवेश निजी व्यवस्था द्वारा किया गया हो, तो शेयर की कीमत, सनदी लेखाकार/ प्रमाणित सामाजिक लेखाकार द्वारा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की आखिरी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित शेयरों का प्रमाणित उचित मूल्य से कम न हो;

(ग) भारतीय पार्टी का संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था से लाभांश, तक्नीकी जानकारी फी, रॉयल्टी, परामर्श सेवा, कमीशन अथवा अन्य पात्रताओं और/अथवा निर्यात प्राप्तियों के तौर पर कोई बकाया देय न हो;

(घ) समुद्रपारीय संस्था कम-से-कम एक वर्ष के लिए परिचालित है और उस वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे के साथ वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई है;

(ङ) भारतीय पार्टी केन्द्रीय जांच ब्यूरो/प्रवर्तन निदेशालय/सेबी/बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अथवा भारत में किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा जांच के अधीन नहीं है।

स्थान :

दिनांक : **(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)**

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन सं. :

फैक्स सं. :

मुहर/मुद्रा

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2008

Foreign Exchange Management (Transfer of Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2008.

G. S. R. 676(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA.120/RB-2004 dated July 7, 2004) namely:-

1. <u>Short Title & Commencement:-</u>

(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2008.

(ii) These Regulations shall be deemed to have come into effect from the 1st day of June 2007.

2. <u>Amendment of Regulation 6:-</u>

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No.FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004 (hereinafter referred to as the 'principal regulations') in Regulation 6,

(i) in sub- regulation (2), for clause (iv), the following shall be substituted, namely:-

"(iv) The Indian Party has submitted its Annual Performance Report in respect of all its overseas investments in the format given in Part III of the Form ODI ."

(ii) in sub- regulation (2), for clause (vi), the following shall be substituted, namely:-

"(vi) the Indian Party submits Part I of the Form ODI, duly completed, to the designated branch of an authorised dealer."

(iii) in sub-regulation (5), in the proviso, for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) The Indian Party files with the designated authorised dealer in Parts I and II of the Form ODI full details of the investment proposed."

3. **Amendment of Regulation 9:-**

In the principal Regulations, in Regulation 9, in sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Application for direct investment in Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary outside India, or by way of exchange for shares of a foreign company, shall be made in Part I of the Form ODI."

4. **Amendment of Regulation 14:-**

In the principal Regulations, in Regulation 14, in sub-regulation (2), for clause (ii) of the following shall be substituted, namely:-

"(ii) The Indian Party shall submit through the designated authorised dealer concerned a report to the Reserve Bank in Parts I and II of the Form ODI within 30 days of effecting the final remittance."

5. **Amendment of Regulation 15:-**

In the principal Regulations, in Regulation 15, for clause (iii) the following shall be substituted, namely:-

"(iii) submit to the Reserve Bank through the Authorised Dealer every year within 60 days from the date of expiry of the statutory period as specified by the respective laws of the host country for finalization of the audited accounts of the Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary outside India or such further period as may be allowed by Reserve Bank, an Annual Performance Report in Form ODI Part III in respect of each Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India set up or acquired by the Indian Party and other reports or documents as may be specified by the Reserve Bank from time to time."

6. **Substitution of Regulation 19:-**

In the principal Regulations, for Regulation 19, the following shall be substituted, namely:-

*** 19. Prior permission of the Reserve Bank for a Proprietary Concern in India to accept shares**

A proprietary concern in India may apply to the Reserve Bank through the authorised dealer in Part I of the Form ODI for permission to accept shares of a company outside India in lieu of fees due to it for professional services rendered to the said company.

Provided that:-

(a) the value of the shares accepted from each company outside India shall not exceed fifty per cent of the fees receivable by the Indian concern from that company; and,

(b) the Indian concern's shareholding in any one company outside India by virtue of shares accepted as aforesaid shall not exceed ten per cent of the paid-up capital of the company outside India, whose shares are accepted.

7. **Substitution of Form**

In the principal regulations, after Schedule II, at the end, for the Forms annexed, Form ODI annexed to these regulations shall be substituted.

[No. FEMA. 180/RB-2008]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note :—(i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.757 (E) dated November 19, 2004 and subsequently amended vide:

G.S.R. No.220 (E) dated April 7, 2005

G.S.R. No.337 (E) dated May 27, 2005

G.S.R. No.552 (E) dated August 31, 2005

G.S.R.No. 535(E) dated September 6, 2006

G.S.R.No. 13(E) dated January 5, 2008

G.S.R.No. 209(E) dated March 25, 2008

G.S.R.No. —— dated ————

(ii) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.

****

ANNEX

FORM OVERSEAS DIRECT INVESTMENT (ODI)

3711 GI/08 – 3

FORM ODI
PART I

For office use only
Date of Receipt ————
Inward No. ————

Section A: Details of Indian Party

(I) Investment under (i) Automatic Route [ ] (ii) Approval Route [ ]

(In case there is more than one Indian party, information may be given on separate sheets for each of the parties)

(II) Name of Indian Party [ ]

(III) Address of Indian Party [ ]

City [ ] State [ ] Pin [ ]

(IV) Contact Person [ ] Designation [ ]

Tel No. [ ] Fax [ ]

e-mail [ ]

(V) Status of Indian Party: (Please tick appropriate category)

(1) Public Ltd. Company [ ] (2) Private Limited Company [ ]

(3) Public Sector Undertaking [ ] (4) Registered Partnership [ ]

(5) Proprietorship [ ] (6) Unregistered Partnership [ ]

(7) Trust [ ] (8) Society [ ]

(9) Others [ ]

(VI) Activity code of Indian Party* [ ]

*NIC code at 3-digit level

[If the Indian Party is engaged in Financial sector or falls under the category of Proprietorship, Unregistered Partnership or Financial sector, please furnish the details in item VII below].

(VII) Financial particulars of the Indian Party for the last 3 years

(Amt. in Rs. 000s)

Particulars	Year 1 31-3-	Year 2 31-3	Year 3 31-3
Foreign exchange earnings (excluding equity exports to JV/WOS)			
Net profit			
Paid-up Capital			
Net worth of (a) Indian Party			
(b) Group Company@			

@ In terms of Explanation to Regulation 6 (3) of Notification No. FEMA 120/ RB-2004 dated July 7, 2004

(VIII) Particulars of existing Joint Ventures (JV) and Wholly Owned Subsidiaries (WOS) already in operation or under implementation, of the Indian party and its group concerns:

Sr. No.	Name of Indian Party	Unique Identification Number allotted by Reserve Bank
1.		
2.		
3.		

(IX) Whether the proposed investment is (Tick the appropriate box)

(a) New Project ☐ (Please furnish the details in Section B)

(b) Existing Project* ☐ (Please furnish the details in Section C)

* Acquisition of stake in an already existing JV/WOS overseas promoted by an Indian party.

Section B: Details of Investment in New Project

For Reserve Bank use only Unique Identification Number												

(I) Purpose of investment (Please tick appropriate category)

(a) Participation in JV (b) Contribution in WOS

(c) Full acquisition of a foreign concern

(d) Partial acquisition of a foreign concern

(e) Investment in unincorporated entity

(f) Others

(II) Particulars of JV/WOS

(a) Name of JV/WOS

(b) Address of JV/WOS

(c) Name of the country

(d) e-mail

(e) Accounting year followed by JV/WOS

(III) Activity code of JV/WOS

(IV) Whether JV/WOS is SPV (Y/N)? #

If Y, Please furnish the details in Section D

Proposed Capital Structure

	[a] Indian Party (ies)	% stake		[b] Foreign partner(s)	% stake
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

Section C: Details of Investment in Existing Project

Indicate 13 digit Unique Identification Number issued by Reserve Bank												

(I) Purpose of Supplementary Investment (Please tick appropriate category)

(a) Enhancement of Equity in existing JV/WOS overseas

(b) Enhancement of Preference Equity/ Convertible Debt

(c) Grant/ Enhancement of Loan in existing JV/WOS

(d) Extension/ Enhancement of Guarantees

(e) Remittances to Unincorporated Entity

(e) Others

(II) Capital Structure

	[a] Indian Party (ies)	% stake		[b] Foreign partner(s)	% stake
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

Section D - Funding for JV / WOS

(Amount in FCY 000's)

I Full Value of the Overseas Acquisition

II Estimated cost of overseas acquisition for the Indian Party

III Financial commitment * (in applicable FCY): FYC Amount

IV Method of investment by Indian Party

(i) Cash Remittance

(a) EEFC

(b) Market Purchase

(ii) Capitalization of

(a) Export of plant and machinery

(b) Others (please Specify)

(iii) ADRs /GDRs [raised overseas]

(iv) ECB/FCCB

(v) Swap of shares

(vi) Others (Please specify)

Total A [Indian Party]

V. Whether JV/WOS is SPV (Y/N) ____

(a) If Y, purpose of SPV: ____

i) Full value of the overseas acquisition ____

ii) Direct / Indirect infusion by SPV ____

ii) Funds raised overseas with guarantee/ counter guarantee from Indian party ____

iii) Funds raised overseas without guarantee/ counter guarantee from Indian Party ____

iv) Funds contributed in the form of equity/ preference equity/ shareholder's loans by foreign investors ____

v) Securitisation ____

vi) Any other mode (please specify) ____

Total ____

VI. Guarantees/ Other Non fund based Commitments ____

Note * : Financial Commitment as defined in FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004 Sec 2(f)- Financial Commitment means amount of Direct Investment by way of contribution to equity, loan and 100 per cent of the amount of guarantee issued by Indian Party to or on behalf of its overseas Joint Venture company or Wholly Owned Subsidiary.

Section E : Declaration by the Indian Party

I (a) Whether the applicant party(ies), its promoters, directors, etc., are under investigations by any investigative/enforcement agency or regulatory body. If yes, the brief details thereof, including present stage of investigation/ adjudication / manner of disposal of the case.

____

____

(b) Whether the promoter Indian party(ies) is(are) presently on Exporters' Caution List of Reserve Bank for non-realization of export proceeds or on the list of defaulters to the Banking System circulated by Reserve Bank. If so, status of the Indian party (ies):

____

____

(c) Any other information relevant to this proposal, including any special benefits/ incentives available in the host country for setting up / acquiring the proposed concern.

____

____

I/ We hereby certify that the information furnished above are true and correct.

Place: ___________ (Signature of authorised official)

Date : ___________ **Stamp/Seal**

Name:------------------------

Designation---------------------

List of enclosures:

1. 4.
2. 5.
3. 6.

Section F: Certificate by the Statutory Auditors of the Indian Party

It is certified that the terms and conditions contained in Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004, as amended from time to time (Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004) have been complied with by the Indian party in respect of the investment under report. In particular, it is cerified that:

(i) the investment is not in real estate oriented or banking business, and

(ii) the amount of foreign exchange proposed to be purchased for remittance towards the investment together with remittances for all overseas investments already made and exports and other dues capitalized / swap of shares / investment from ECB / FCCB balances for investment abroad under the Automatic Route is within the limit stipulated by the Reserve Bank from time to time. This has been verified with reference to the net worth of the Indian party as on the date of last audited balance sheet, i. e.------(date)

(iii) has complied with the valuation norms prescribed for the investment

(iv) has complied with the ECB guidelines #

(v) that the Indian party (a) has made net profits during the preceding three years, (b) has fulfilled the prudential norms of capital adequacy as prescribed by the regulatory authority concerned; (c) has been registered with the appropriate regulatory authority in India and (d) has obtained approval for the investment in financial services sector activities from the regulatory authorities concerned in India and abroad *.

Note : *Applicable only in cases where the investment is in the financial services sector (e.g. insurance, mutual fund, asset management, etc.).

Applicable where investment is funded through ECB/FCCB balances.

(Signature of the Statutory Auditor of the Company)

Name of the firm, Stamp and Registration number

PART II

REPORTING OF REMITTANCES

For office use only

Date of Receipt ————

Inward No. ————

In case investment is in the existing JV/WOS, please indicate Unique Identification No. already allotted :													
No.													

(I) Name of Indian Company:

(II) Is there any change in Company name since last reporting? (Y/N)

If Yes, specify Old Company Name

DETAILS OF CURRENT REMITTANCES EFFECTED

(Amount in 000's of FCY)

Code of Reporting AD		foreign currency**:	
(a) From EEFC A/c.			
Equity	Loan	Guarantee (Invoked)	Date of Remittance
(b) By Market Purchases			
Equity	Loan	Guarantee (Invoked)	Date of Remittance
(c) From the ADR/GDR funds			
Equity	Loan	Guarantee (Invoked)	Date of Remittance
(d) By Swap of Shares			
Equity	Loan	Guarantee (Invoked)	Date of Swap
		XXXX	

(e) From ECB/ FCCB balances parked in India/outside India			
Equity	Loan	Guarantee (Invoked)	Date of Transaction
(g) Capitalization of Exports/Other dues@			
Date of capitalization:		Amount:	
(h) Guarantee issued: Date (Fresh / Existing Guarantee Period Extended)		Amount:	
Validity Period			

Note : ** Please indicate name of the foreign currency (FCY) as per SWIFT code.

@ Please specify the other dues being capitalized viz., royalty, technical know-how fee, consultancy fees, etc.

We hereby confirm that the remittance
(strike out whichever is not applicable)

i) has been allowed under the Automatic Route based on the certification given by the Statutory Auditors confirming compliance with the prescribed terms and conditions by the Indian party ;

ii) is in accordance with the terms and conditions of the approval letter issued by the Reserve Bank ; and

iii) in respect of the invoked guarantee remittance has been made after satisfying that the claim is in conformity with the terms and conditions of the guarantee issued to/on behalf of the JV/WOS abroad.

Place
Date:

(Signature of authorised official of the bank)

Name :
Designation :
Tel. No. :
FAX No :

Stamp /Seal

PART III

ANNUAL PERFORMANCE REPORT (APR)

(To be submitted certified by Chartered Accountant through the designated AD Category– I bank every year within 3 months of the closing of annual accounts of the JV / WOS as long as the JV/WOS is in existence)

I. Date of APR : ____________

II. Unique Identification Number :

(Please indicate 13 digit Unique Identification number issued by RBI)

III. Changes in capital structure since last reporting

	Amount (new)	% share (new)
Indian		
Foreign		

IV. Operational details of the JV/ WOS for the last two years

(Amount in 000's FCY)

	Previous Year	Current Year
i) Net Profit / (Loss)		
ii) Dividend		
iii) Net worth		

V. Repatriation from the JV/WOS

Foreign exchange earnings from Joint Ventures (JV) and Wholly Owned Subsidiaries (WOS)

	During the last year ended	Since commencement of business
(i) Profit		
(ii) Dividend		
(iii) Retained Earnings*		
(iv) Investments into India		
(v)Others**(Please specify)		

*(Represent part of the profits of the JV/WOS which is retained and reinvested in the JV/WOS).

** (Royalties, technical know-how fees, consultancy fees, etc.)

VI. Investment in step down subsidiaries since last reporting

Country	
Name of JV/WOS	
Amount of Investment	

Place: ___________

Date : ___________

(Signature of authorised official)

Stamp/Seal

Name:-----------------

Designation-----------------

(Signature of the Statutory Auditor of the Company)

Name of the firm, Stamp and Registration number

Signature of the Authorised Official of the bank:

Name:
Designation:

PART IV

Report on Closure / Disinvestment / Voluntary Liquidation /Winding Up of JV / WOS

To be submitted by the designated AD Category –I bank
(All Amounts in FCY, in thousands)

Name and Address of the AD Category – I bank: ___________________________

AD Code: ___________________________________

Unique Identification Number allotted by the Reserve Bank

Whether APRs submitted regularly? (Y/N) [ ]
Date of submission and period to which last APR relates: __________

Details of Investment

Equity	Loan	Guarantees Issued

Details of Remittances

Equity	Loan	Guarantees Invoked

Changes in the capital Structure since the last APR

Equity	Loan	Guarantees Issued

Amount Repatriated on disinvestments

Equity	Loan

It is certified that (Strike out whichever is not applicable)

I. (a) the sale is effected through a stock exchange where the shares of the overseas Joint Venture (JV) or Wholly Owned Subsidiary (WOS) are listed;
(b) if the shares are not listed on the stock exchange, and the shares are disinvested by a private arrangement, the share price is not less than the value certified by a Chartered Accountant /Certified Public Accountant as the fair value of the shares based on the latest audited financial statements of the Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary;
(c) The Indian party does not have any outstanding dues by way of dividend, technical know-how fees, royalty, consultancy, commission or other entitlements, and/or export proceeds from the Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary,
(d) The overseas concern has been in operation for at least one full year and the Annual Performance Report together with the audited accounts for that year has been submitted to the Reserve Bank;

(e) The Indian party is not under investigation by CBI/ED/SEBI/IRDA or any other regulatory authority in India.

Place
Date:

(Signature of authorised official of the bank)

Name:
Designation :
Tel.No. :
FAX No. :

Stamp /Seal

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.